वित्तीय स्वीकृति

संख्या-01/2021/1559/52-3-202

प्रेषक,

इच्छाराम,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊः दिनांक 11 जनवरी, 2021

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 में रजिस्ट्रार उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के कार्यालय अधिष्ठान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 23.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा उ0प्र0 प्रयागराज कार्यालय अधिष्ठान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 105.12 लाख के सापेक्ष निर्गत प्रथम किश्त के सापेक्ष मासान्त नवम्बर, 2020 तक रू0 27.94 लाख का व्यय अधिष्ठान मद में किया जा चुका है। अतएव द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1-149/दस -2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 के प्रस्तर-2(5) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार रजिस्ट्रार उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के कार्यालय अधिष्ठान हेतु वित्तीय स्वीकृति के लिए चालू वित्तीय वर्ष-2020-21 के बजट में प्रावधानित धनराशि रू0 105.12 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि अर्थात द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 52.56 लाख (रू0 बावन लाख छप्पन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृतियाॅ निम्न प्रकार हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक प्राविधान	आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष प्रथम किश्त हेतु धनराशि	आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि
1	01 वेतन	25.18	12.59	12.59
2	02 मजदूरी	0.20	0.10	0.10
3	03 मंहगाई भत्ता	6.30	3.15	3.15
4	04 यात्रा व्यय	2.00	1.00	1.00
5	06 अन्य भत्ते	5.00	2.50	2.50
6	07 मानदेय	8.04	4.02	4.02
7	08 कार्यालय व्यय	5.00	2.50	2.50
8	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00	0.50	0.50
9	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	2.50	2.50
10	13 टेलीफोन पर व्यय	0.60	0.30	0.30

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.00	1.00	1.00
12	16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	8.00	4.00	4.00
13	18 प्रकाशन	2.00	1.00	1.00
14	42 अन्य व्यय	7.00	3.50	3.50
15	45 अवकाश यात्रा व्यय	0.20	0.10	0.10
16	46 कम्प्यूटर हा0सा0क्रय	0.50	0.25	0.25
17	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	7.00	3.50	3.50
18	49 चिकित्सा व्यय	1.00	0.50	0.50
19	51 वर्दी व्यय	0.10	0.05	0.05
20	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0	0	0
21	55 मकान किराया भत्ता	15.00	7.50	7.50
22	56 नगर प्रतिकर भत्ता	4.00	2.00	2.00
योग		**105.12**	**52.56**	**52.56**

3- वित्तीय वर्ष 2020-21 में रजिस्ट्रार उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के कार्यालय अधिष्ठान हेतु वित्तीय स्वीकृति बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 धनराशि रू0 105.12 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि अर्थात द्वितीय किश्त हेतु 52.56 लाख (रू0 बावन लाख छप्पन हजार मात्र) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।
2. वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।
3. उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय≤ पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को 31.03.2021 तक उपलब्ध कराया जायेगा।
5. धनराशि का आवंटन (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा उ0प्र0 प्रयागराज की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-1/2020/बी-1-149/दस -2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में प्राप्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1559(1)/52-3-20, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3 संबंधित सहायक/गार्ड फाईल।
6- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।